न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 74/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
नजीर मोहम्मद पुत्र खेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सावां तहसील चौहटन		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद अपील अंतर्गत खण्ड 22(I) राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.10.2017 बमुकदमा विभागीय प्रकरण संख्या 161/17 द्वारा जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर

उपस्थितः–1. श्री संपतराज बोथरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री खेमाराम प्रवर्तन निरीक्षण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 07.02.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट नजीर मोहम्मद उचित मूल्य दुकान सावां का डीलर नियुक्त है। प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा दिनांक 27.07.2017 को उचित मूल्य दुकान सांवा का निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा स्टॉक एंव मूल्य प्रदर्शन, एनएफएसए सूची का प्रदर्शन नहीं करने,उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित नहीं मिलने,मौके पर स्टॉक रजिस्टर/बिल/वाउचर,पोश मशीन वास्ते जॉच उपलब्ध नहीं कराने एंव मौके पर उचित मूल्य दुकान के गोदाम के निरीक्षण में गेहूँ भंडारित पाये जाने एंव वितरण नहीं करने आदि अनियमितताऐं पायी जाने पर जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने अपीलांट–नजीर मोहम्मद के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 161/17 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2017 द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया और प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर दी। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22(I) राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलाट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान की सामग्री का वितरण एंव संधारण सही समय पर पोश मशीन द्वारा नियमित रूप से किया गया है। अपीलांट को किसी प्रकार का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस आदेश के साथ में आया था जिसमें सुनवाई की दिनांक13.09.2017 को लिखी हुई थी और उसी दिन अपीलांट को अभिलेख सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया मगर दिनांक 24.10.2017 को ही प्रकरण में आदेश पारित कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इस कार्यवाही से यह स्थापित है कि अपीलांट को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट ने गेहूँ एंव केरोसीन राशन सामग्री का वितरण सही समय पर किया है। पोश मशीन में तकनीकी त्रुटियों को आधार बनाते हुए एक पक्षीय रूप से अपीलांट को सुने बिना उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करना न्याय संगत नहीं है। अपीलांट ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती है। इसलिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाए।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि डीलर नजीर मोहम्मद उचित मूल्य दुकानदार सांवा की दिनांक 27.07.2017 को निरीक्षण करने के दौरान स्टॉक एंव मूल्य प्रदर्शन, एनएफएसए सूची का प्रदर्शन नहीं पाया गया।वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकाननदान का पुत्र मौके पर मिला,मौके पर वितरण नहीं करना पाया जबकि स्टॉक में खाधान सामग्री पायी गयी। मौके पर जॉच हेतु स्टाक रजिस्टर, बिल, वाउचर,चालान एंव पोश मशीन जॉच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ ने डीलर द्वारा राशन वितरण की रसीद उपलब्ध नहीं करवाना बताया एंव डीलर द्वारा औसत मासिक आवंटन अनुसार वितरण नहीं पर कर बरती गई अनियमितताओ के सम्बन्ध में प्रकरण दर्ज अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसका उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उचित मूल्य के रिकॉर्ड एंव पोश मशीन से वितरित मात्रा में अन्तर पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार सांवा द्वारा राजस्थान खाधान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरणका विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डो एंव इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,8,9,10 एंव 18 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 24.10.2017 द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, वह सही है। इसलिये अपीलांट की अपील को खारिज किया जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट नजीर मोहम्मद पुत्र खेर मोहम्मद उचित मूल्य दुकान सावां का डीलर नियुक्त है। दिनांक 27.0.2017 की प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान सांवा का निरीक्षण करने पर मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ ने डीलर द्वारा राशन वितरण की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रसीद उपलब्ध नहीं करवानाबताया।मौके पर स्टॉक एंव मूल्य सूची का प्रदर्शन और एनएफएसए सूची का प्रदर्शन किया हुआ नहीं पाया गया। मौके पर स्टाक रजिस्टर,बिल वाउचर पोश मशीन वास्ते जॉच हेतु उपलब्ध नहीं कराने, मौके पर बरामद गेहूँ भण्डारन का नियमित वितरण नहीं करने एंव दिनांक 13.07.017 को वक्त निरीक्षण में भी उचित मूल्य दुकान बंद पायी गयी। उचित मूल्य दुकानदार सावां द्वारा अनियमितताऐं करना पाये जाने पर रेस्पोडेंट द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 161/17 दर्ज किया गया। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने विभागीय प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनाक 17.08.2017 का नोटिस जारी किया गया। मगर अपीलांट उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 06.09.2017 को पुनः पेशी तारीख 13.09.2017 का सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलांट डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को स्टॉक हस्तांरित सामग्री में 43 किलो ग्राम गेहूँ अधिक एंव 25लीटर केरोसीन कम हस्तांतरण कर राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता करना सिद्ध पाया गया। अतः उचित मूल्य दुकान सांवा द्वारा राजस्थान खाधान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डो व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,8,9,10 एंव 18का उल्लंघन पाये जाने से बाद सुनवाई जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2017 पारित किया है, वह सही एंव न्यायोचित है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्त्ररूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2017 यथावत रखा जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर